न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 39 / 2022

अनवान :–

1. मुन्शीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. पृथ्वीसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल अप्रार्थी

3. जयचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. प्रमोद कुमार पुत्र जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मायादेवी पुत्री जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. शंकरलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : ~~25.11.2021~~ 09/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 2 आरएमएस परलीका ए के खाता संख्या 73/73 की कुल 2.1505हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 13136 हिस्सा, व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा एवं तरतीबी अप्रार्थी 5 का 1/12 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 7 का 5/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 105/111 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि स्थित है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 पृथ्वीसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन अकेला खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 अपने गावं से चलकर पटरी के रास्ते होते हुए अपनी कृषि भूमि रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 105/111 के प0न0 358/408 (31) के किला न0 11/2 ,20 ,21 मे पश्चिम से उत्तर से दक्षिणी की और होते हुए अपने खते में प्रवेश करते है प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थी सख्या 3 ता 7 का यह सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को नही है। प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 हमेशा से इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी उक्त रास्ता को बन्द कर सकता है जिससे प्रार्थी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रार्थी उक्त रास्ता को स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरएमएसस के खाता संख्या 105/111 के प0न0 358/408(31) के किला न0 11/2 की भूमि में से आधा बिश्वा एवं 20 ,21 में से 1–1 बिश्वा रास्ता पश्चिम साईड से उत्तर से दक्षिण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त गैरसायल संख्या 3 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया एव गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्त उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राजय हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ताा स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 देने को तेयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने में किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो मुश्तरका खाते में खातेदार काश्तकार है सायल अपनी कब्जा काश्त की खाातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सायल एवं गैरसायल एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है गैरसायल सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता देने में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया बल्की सहमति पेश की गई है।

अतः साायल एवं गैरसायल 1 की आपसी सहमति के आधार पर साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 आरएमएसस के खाता संख्या 105/111 के प0न0 358/408(31) के किला न0 11/2 की भूमि में से आधा बिश्वा एवं 20 ,21 में से 1–1 बिश्वा पश्चिम साईड से उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जाता है सायल एव गैरसायल संख्या 3 ता 7 सायल को रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में बाजार भाव से मुल्य अदा करेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 251(A)/ 39 दिनांक 09/02/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 39 सन 2021 निर्णय दिनांक 09/02/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. मुन्शीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1 पृथ्वीसिह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल अप्रार्थी

3. जयचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. पूनम पुत्री जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. प्रमोद कुमार पुत्र जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मायादेवी पुत्री जयपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. शंकरलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-तरतीबी गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 आरएमएसस के खाता संख्या 105/111 के प0न0 358/408(31) के किला न0 11/2 की भूमि में से आधा बिश्वा एवं 20 ,21 में से 1-1 बिश्वा पश्चिम साईड से उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत किया जाता है सायल एव गैरसायल संख्या 3 ता 7 सायल को रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में बाजार भाव से मुल्य अदा करेगे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कियो जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner